न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

बिहारीसिंह बनाम रुड़सी वगै

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं. - 38/2022
13.10.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस एकपक्षयीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 13/10/23 दिलीपसिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2022	2022 / 65	28.03.2022	13.10.2023

उनवान

1. बिहारीसिंह पुत्र स्व0 फूलसिंह आयु 70 वर्ष
2. छाजूसिंह पुत्र स्व0 फूलसिंह आयु 59 वर्ष
3. मोतीसिंह पुत्र स्व0 फूलसिंह आयु 55 वर्ष
4. पार्वती कंवर पत्नी मालसिंह आयु 60 वर्ष
5. महेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 मालसिंह आयु 40 वर्ष
6. बलवीरसिंह पुत्र स्व0 मालसिंह आयु 39 वर्ष
7. दातारसिंह पुत्र स्व0 मालसिंह आयु 35 वर्ष
8. सुनीता कंवर पुत्री स्व0 मालसिंह आयु 37 वर्ष
9. अचरज कंवर पुत्री स्व0 मालसिंह आयु 36 वर्ष
10. यशोदा कंवर पुत्री स्व0 मालसिंह आयु 32 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

— वादीगण—

बनाम

1. सुण्डा पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी ढाणी हरसागर तन् तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:59 IST
Reason: Self Attested

उपस्थित : –
श्री कमल कुमार शर्मा एड0 वादीगण उपस्थित
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी सख्या–2

दावा बाबत उद्घोषणा
(अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
(नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1114, 1115 रकबा 6 बीघा ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिसके नवीन खसरा नम्बर 1135, 1136 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि के मूल खातेदार सुण्डाराम गुर्जर द्वारा उक्त भूमि अलमशहूर पीहावाला खेत की 6 बीघा पक्की भूमि को जरिये लिखावट दिनांक 02.07.1989 को रूपये 10,000/- रूपये अक्षरे दस हजार रूपये नकद प्राप्त कर कब्जा वादी बिहारीसिंह, मालसिंह, छाजूसिंह, मोतीसिंह पुत्रगण फूलसिंह को संभलाकर मौके पर कब्जा संभला दिया गया था तथा उक्त भूमि बाबत सम्पूर्ण हक अधिकार वादीगण संख्या 1 ता 3 व वादीगण नम्बर 4 ता 10 के पिता व पति मालसिंह को संभला कर काबिज मालिक होने बाबत अपनी सहमति प्रदान करते हुये लिखावट बकमल रामकुमार मीणा अध्यापक द्वारा लिखवाकर खातेदार सुण्डाराम गुर्जर द्वारा अपनी अंगूठा निशानी कर गांव के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी स्टाम्प की पुश्त पर करवाकर भूमि पर वादीगण संख्या 1 ता 3 वादीगण 4 ता 10 के बुजुर्ग मालसिंह को कब्जा संभलाकर सम्पूर्ण मालिकाना हक अधिकार प्रदान कर दिये थे। उक्त भूमि के चारो तरफ वादीगण के खातेदारी की भूमियां है। उक्त वर्णित भूमि पर वादीगण वरवक्त लिखावट दिनांक 02.07.1989 से काबिज होकर लगातार काश्त चले आ रहे है तथा वर्तमान में वादीगण का ही कब्जा हैं तथा उक्त भूमि में आवासीय मकान भी वादीगण द्वारा बनाया हुआ है जिसमें घरेलु कनेक्शन वादी संख्या 6 बलबीरसिंह के नाम से लगा हुआ है तथा एक ट्यूबवैल/बोरवेल भी वादीगण द्वारा बनायी हुयी है जिससे वादीगण अपनी भूमि फसल आदि काश्त कर लगातार पूर्णतया काबिज काश्त व आबाद है तथा उक्त भूमि को चारो तरफ से सीमाओं से महदूद कर काफी संख्या में फलदार एवं छायादार वृक्ष लगा रखे है ... वादीगण अपनी उक्त भूमि को अर्सा ... सम्पूर्ण भूमि पर काश्त आदि कर ... तथा वर्तमान में वादीगण काबिज करीब 33 वर्षो से लगातार ... अपनी भूमि को अपनी स्वयं की काश्त मय पशुधन आबाद है। वादीगण ... समय पर ... उपजाऊ बनाया है। वादीगण उक्त भूमियों पर मेहनत व लाखो रूपये लगाकर उन्नत एवं उपजाऊ बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

(मोहर) ... कलक्टर (फास्ट ट्रेक) ... श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

काबिज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी है लेकिन उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम नहीं होने के कारण वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं। वादीगण सरकारी सहायत ऋण, अनुदान, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह से वंचित हो रहे हैं एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादीगण वंचित हो रहे है एवं खातेदार काश्तकार को मिलने वाली सुविधाओं से वादीगण वंचित हो रहे है। दिनांक 28.02.2022 को पटवारी हल्का सांवलपुरा तंवरान से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहा तो रिकार्ड व जमाबंदी देखकर पटवारी हल्का द्वारा यह बताया गया कि उक्त भूमि आप लोगों के नाम दर्ज नहीं है। इस कारण आपका किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन सकता है, न्यायालय में वाद प्रस्तुति के बिना खातेदारी आपके नाम दर्ज नहीं हो सकेगी। उक्त वर्णित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर नम्बर 1114, 1115 रकबा 6 बीघा ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिसके नवीन खसरा नम्बर 1135, 1136 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के वादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 के व वादीगण संख्या 4 ता 10 शेष 1/4 हिस्सा के बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर जरिये डिक्री खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज फरमायी जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ फरमाये जाने का निवेदन किया गया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 सम्यक् तामिल लिफाफे पर "उक्त व्यक्ति के नाम से गांव में कोई व्यक्ति नहीं होने" अंकित होकर लौटने पर वकील वादी के निवेदन पर प्रतिवादी संख्या 1 की तामिल जरिये दैनिक समाचार पत्र द्वारा करवाई गई। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी के मुख्य परीक्षण में गवाहन अर्जुनलाल मीणा पुत्र कालूराम मीणा जाति मीणा, राजेन्द्र सिंह पुत्र सायरसिंह जाति राजपूत ... शपथ पत्र पेश हुये। वादपत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में ... पत्रांक भू.अ./23/1771 दिनांक 03.10.2023 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ... पालना रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर ... स्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम जुगलपुरा के साबिक भूमि खसरा नम्बर 1114, 1115 रकबा 6 बीघा / 1.56 है0 मुताबिक जमाबंदी संवत् 2046–2049 के प्रतिवादी सुण्डा पुत्र नानगा कौम गुर्जर सा0 देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। राजस्व ग्राम जुगलपुरा के साबिक खसरा नम्बर 1114 रकबा 1.32 है0, खसरा नम्बर 1115 रकबा 0.24 है0 के हाल खसरा नम्बर 1135 रकबा 1.32 है0 व खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.24 है0 बने है। उक्त भूमि के खेत को बोलचाल में पीहावाला खेत के नाम जानते है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 436, खसरा नम्बर 1135 रकबा 1.32 है0 किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 1136 रकबा 0.24 है0 किस्म बारानी–3 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 है0 की खातेदारी सुण्डा पुत्र नानगा हिस्सा पूर्ण जाति गुर्जर सा0 देह दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगणों बिहारीसिंह, छाजूसिंह, मोतीसिंह पुत्रगण फूलसिंह जाति राजपूत वगै0 द्वारा प्रस्तुत मूल लिखावट स्टाम्प 5/– रूपये दिनांक 02.07.1989 ब.कलम रामकुमार मीणा अध्यापक में खातेदार प्रतिवादी सुण्डाराम गुर्जर पुत्र नानग गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ढाणी हरसागर तन जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना ने लिखावट में ग्राम के मौजिज व्यक्तियों की मौजूदगी में लिखी है कि "मेरी जमीन पियावाला खेत की 6 बीघा पक्की खसरा नम्बर 1114 व 1115 को बिहारी सिंह, मालसिंह, छाजूसिंह, मोतीसिंह पुत्रगण फूलसिंह गांव जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना को बेच दी है। इस जमीन की कीमत 2000/– रूपये प्रति बीघा की दर से बिक्री की गई है और 6 बीघा पक्की जमीन की कीमत मार्फत् 10,000/– रूपये अक्षरे दस हजार रूपये नगद प्राप्त किया है। यह लिखावट मैं बिना नशा पत्ता पूर्ण होश हवास के गांव के पांच के प्रमुख व्यक्तियों के सामने लिख रहा हूँ। इसमें मैं आगे किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करूगां। मैं राजी खुशी से यह जमीन बेच रहा हूँ। अतः इस जमीन का सम्पूर्ण अधिकार इन्हें सौंप रहा हूँ। इस पर आज के बाद मेरा कोई अधिकार नहीं है। इस पर अधिकार बिहारी, मालसिंह, छाजू, मोतीसिंह पुत्रगण फूलसिंह का अधिकार रहेगा।"

वर्तमान में ग्राम जुगलपुरा के साबिक खसरा नम्बर 1114 व 1115 के नये खसरा नम्बर 1135 व 1136 पर वादीगण [illegible] मालसिंह, छाजूसिंह, मोतीसिंह पुत्रगण फूलसिंह, पार्वती कंवर पत्नी मालसिंह, [illegible] दातारसिंह पुत्रगण मालसिंह, सुनीता कंवर, अचरज कंवर, यशोदा कंवर पु[illegible] मालसिंह जाति राजपूत निवासी जुगलपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:32:59 IST
Reason: SelfAttested

12/10/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

द्वारा मौके पर कब्जा काश्त एवं रहवासीय मकान बनाकर निवासरत है। जिसमें विद्युत कनेक्शन भी लगा हुआ है।

हमने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर पालना रिपोर्ट पेश कर दिये जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्र साक्ष्य वादी व गवाहान, तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट, भू–प्रबंध विभाग के मिलान क्षेत्रफल एवं अन्य दस्तावेजात पक्षकारान की लिखावट दिनांक 02.07.1989 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण को छोड़कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादी साक्ष्य में गवाहान् द्वारा लिखितशुदा शपथ पत्रों से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर नम्बर 1114, 1115 रकबा 6 बीघा ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिसके नवीन खसरा नम्बर 1135, 1136 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के वादी संख्या 1 ता 3 हिस्सा 1/4, 1/4, 1/4 के व वादीगण संख्या 4 ता 10 शेष 1/4 हिस्सा के बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर खातेदारी वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् उद्घोषणा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर नम्बर 1114, 1115 रकबा 6 बीघा ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिसके नवीन खसरा नम्बर 1135, 1136 कुल किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तन् ग्राम जुगलपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के वादीगण संख्या 1, 2, 3 हिस्सा क्रमशः 1/4, 1/4, 1/4 के व वादीगण संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

4 ता 10 शेष 1/4 हिस्सा के बहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाकर खातेदारी बादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

13/10/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक **13.10.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

13/10/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:52:59 IST
Reason: SelfAttested